

नसबंदी शिविर में इस्तेमाल सीजीएमएससी की दवाओं को कोलकाता लैब की हरी झंडी सिप्रोसिन में चूहामार जहर है कि नहीं, लखनऊ रिपोर्ट से होगी पुष्टि

प्रशांत गुप्ता >> रायपुर

पेंडारी नसबंदी शिविर में महावर फार्मा के अलावा स्वास्थ्य संचालनालय से पूर्व में सप्लाई आईवूप्रोफेन और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) से सप्लाई 6 अन्य दवाओं का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी दवाओं के इस्तेमाल, इनकी बिक्री पर सरकार ने 12 नवंबर को रोक लगा दी थी। ये सभी दवाएं प्रतिबंधित कर दी गई थीं सीजीएमएससी से सप्लाई 6 दवाओं को जांच के लिए सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेट्री कोलकाता जांच के लिए भेजा गया था।

दवा की टेस्टिंग रिपोर्ट कोलकाता लैब से आ चुकी है, जिसमें इन 6 दवाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पाई गई है। दवाएं मानकों पर हैं। रिपोर्ट के आधार पर सीजीएमएससी से सभी जिला मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र लिखा गया है कि वे इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि पेंडारी नसबंदी शिविर में अब तक 14 महिलाओं की जान चुकी है, वहीं सिप्रोसिन खाने से मरने वालों की संख्या करीब 6 है।



सिप्रोसिन को जांच के लिए दिल्ली स्थित निजी लैबोरेट्री, कोलकाता स्थित सरकारी जांच प्रयोगशाला और लखनऊ स्थित एक और सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली ने सिप्रोसिन में चूहामार जहर की पुष्टि की है, लेकिन कोलकाता लैब ने सिप्रोसिन को अमानक करार दिया है, क्योंकि कोलकाता लैब में जहर संबंधी जांच नहीं होती है। सिप्रोसिन में चूहामार जहर मिला हुआ है, इसकी पुष्टि लखनऊ लैब से होगी, जिसकी रिपोर्ट आनी शेष है।

नसबंदी शिविर में इस्तेमाल की गई दवाओं की सूची

टैबलेट-आइबुप्रोफेन 400 एमजी, बैच नम्बर टीटी-450413 निर्माता- मेसर्स टेविनकल लैब एण्ड फार्मा प्रा.लिमि. हरिद्वार, टैबलेट- सिप्रोसिन 500 एमजी, बैच नम्बर 14101 सीडी, निर्माता-मेसर्स महावर फार्मा प्रा.लिमि. खम्हारडीह रायपुर (छत्तीसगढ़); इंजेक्शन-लिग्नोकेन एचसीएल आईपी बैच नम्बर- आर.एल.108, निर्माता-मेसर्स रिगेन लैबोरेट्रीज हिसार, इंजेक्शन- लिग्नोकेन एचसीएल आईपी बैच नम्बर- आरएल 107, निर्माता-मेसर्स रिगेन लैबोरेट्रीज हिसार, एब्जॉरबेंट कॉन्टैन- वुल आईपी बैच नम्बर- 0033, निर्माता-मेसर्स हेम्पटन इंडस्ट्रीज संजय नगर रायपुर (छत्तीसगढ़), जिलोन लोशन- बैच नम्बर जेई-179, निर्माता-मेसर्स जी. फार्मा 323, कलानी नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश), इन पर प्रतिबंध बरकार है।

प्रतिबंधित 6 दवाओं की कोलकाता से जांच रिपोर्ट आ चुकी है। दवाएं मानक पाई गई हैं। इनके इस्तेमाल के आदेश सीएमएचओ को दे दिए गए हैं। -स्वागत साहू, महाप्रबंधक (टे.), जीसीएमएससी

जहां-जहां सेंपल जांच के लिए भेजे गए थे, वहां से जांच रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट बिलासपुर पुलिस के पास हैं, उनसे पूछें।

-डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग

Regulatory

3